न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 48/2021 G.C.M.S. No. 2021/247 दर्ज दिनांक: 31.08.2021

अपीलार्थिगण:

चेनाराम पुत्र पैलाद, जाति जाट, निवासी माधेपुरा, तहसील चितलवाना, जिला जालोर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गिरधारीराम पुत्र उरजाराम
2. गंगाराम पुत्र उरजाराम
3. दैराज पुत्र उरजाराम
4. गुमनी बेवा उरजाराम के कायम मुकाम:—
   - 4/1. गिरधारीराम पुत्र उरजाराम
   - 4/2. गंगाराम पुत्र उरजाराम
   - 4/3. देराजराम पुत्र उरजाराम जातियान जाट, निवासीगण माधोपुरा(टांपी) तहसील चितलवाना
   - 4/4. तुलसीदेवी पुत्री उरजाराम पत्नी भेराराम जाट, निवासी बामनला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
   - 4/5. राजोदेवी पुत्री उरजाराम पत्नी कुम्भाराम जाट, निवासी अरणीयाली, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर
5. गोमाराम पुत्र पैलाद
6. दुदाराम पुत्र पैलाद
7. मानाराम पुत्र पैलाद
8. देवाराम पुत्र किशनाराम
9. मेवाराम पुत्र किशनाराम
10. अमराराम पुत्र आईदान
11. रामाराम पुत्र आईदान
12. गिरधारीराम पुत्र आईदान तमाम जातियान जाट, निवासीगण माधोपुरा (टांपी) तहसील चितलवाना, जिला जालोर (राज.)
13. भूमि अवाप्ति अधिकारी (नर्मदा नहर) सांचौर
14. व्यवस्थापक एसबीआई बैंक सांचौर
15. व्यवस्थापक आरएमजीबी शाखा डुगरी
16. राज्यसरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना, जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2019 बअनवान गिरधारीराम चैनाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2020 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः—

1. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री नरसीराम , विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांकः 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2019 बअनवान गिरधारीराम चैनाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

अधीनस्थ न्यायालय चितलवाना के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 12 ने दिनांक 11.12.2019 को राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट का पेशकर निवेदन किया कि सरहद मौजा माधोपुरा में वर्तमान खसरा नम्बर 123 रकबा 11.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 14.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 23.41 हैक्टर कुल रकबा 49.69 हैक्टर की आराजी हम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुश्तैनी सम्पति आई हुई है वादीगण के दादा, परदादा स्वर्गीय लुम्भा के तीनो पुत्र स्वर्गीय पैलाद, किसना, आईदान के जीवनकाल में आज से 40—50 वर्ष पूर्व भौतिक तौर से बंटवाडा 1/3—1/3 हिस्से अनुसार मौके पर अलग अलग काबिज कास्त है एवं खेती बाडी करते आ रहे है। अपने अपने हिस्से में रहवासीय ढाणियां है। वादी संख्या 1 से 4 का 1/15 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/15 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 1/15 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/15 हिस्सा, वादी संख्या 8 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 9 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 10 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 11 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 12 का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 हिस्सा आई हुई है। सुविधा के हिसाब से नक्शा परिशिष्ट 'अ' पेश है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बार बार धमकिया देने एवं राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा करने से इन्कार करने कारण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया, जिस पर दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगणो के नोटिस बाद तामिल पेश हुये प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील दिलीप कुमार को मुर्कर किया गया। दिनांक 14.09.2020 को वकील वादी द्वारा आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया उनके बाद दिनांक 19.10.2020 को एकपक्षीय आदेश पारित कर जवाब बंद किया गया एवं दिनांक 23.11.2020 को प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश नही किये जाने के बावजूद

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध जाकर दिनांक 24.12.2020 को अन्तिम डिकी व निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा अधिवक्ता दिलिप कुमार को वकालतनामा देकर पैरवी हेतु नियुक्त किया था लेकिन अधिवक्ता को बिना सुने ही दिनांक 19.10.2020 को करीबन 10 माह का समय गुजर जाने का हवाला देकर एकपक्षीय कार्यवाही कर जवाब बंद किया था जबकि उस दौरान कोरोना माहमारी का दौर चल रहा था एवं कोर्ट की कार्यवाही बाधित थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 12 ने मिलावट कर कोरोना माहमारी होने के बावजूद भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्टस द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर बंटवाडा दावा पेश किया जिस आराजी पर मुझ अपीलान्ट का पुश्तैनी कब्जा कास्त चला आ रहा है एवं रहवासीय ढाणी बनी हुई है जहां पर मुझ अपीलान्ट परिवार सहित निवास कर रहे है। उस आराजी को मुझ अपीलान्ट को न देकर रेस्पोडेन्ट को दी गई है जिस कारण मुझ अपीलान्ट को बार बार कब्जा हटाने की धमकिया दी जा रही है। मुझ अपीलान्ट को केवल मात्र उबड खाबड धोरे वाली जमीन हमें दी है इस कारण बिना मौका रिपोर्ट पेश कर एकपक्षीय अन्तिम निर्णय व डिकी पारित की है

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2020 को प्राथमिक डिकी पारित करने से पूर्व दोनो पक्षो की बहस सुना जाना आवश्यक था एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबुतो का अवलोकन करते एवं मुझ अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर एवं साक्ष्य सबुतो को पेश करने का अवसर प्रदान करते जबकि ऐसा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया है एवं न ही पत्रावली पर ऐसी कोई कार्यवाही की है जिस पर प्राथमिक डिकी पारित करने में कानूनी व वाक्याती भुल की है

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 23.11.2020 की पालना में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक था लेकिन सम्पूर्ण पत्रावली में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट पेश नही की है केवल मात्र नक्शा पेश किया है जबकि राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 06.10.2020 में स्पष्ट प्रावधान किया है कि प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार द्वारा दोनो पक्षो को मौका फर्द बनाने से पूर्व उपस्थित रहने हेतु नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावेगा, जिसके बाद निश्चित तारीख को दोनो पक्षों की मौजूदगी में एवं कब्जा कास्त व बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जावेगी जिस पर सभी पक्षकारान के अगुठा हस्ताक्षर करवाये जायेगें, उसके बाद न्यायालय में मौका फर्द पेश की जावेगी। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व मण्डल के नियमों की पालना न कर केवल मात्र एक नक्शा ही तहसीलदार द्वारा पेश किया है उस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व अंतिम डिकी पारित की है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से पैरवी करने हेतु दिलिप कुमार को अधिवक्ता नियुक्त किया था लेकिन अपीलांट के अधिवक्ता को बिना सुने एवं बिना किसी दस्तावेजो को पेश करने का अवसर नही देकर अपीलांट अधिवक्ता के विरूद्ध भी उसकी मौजूदगी होने के बावजूद भी एकपक्षीय कार्यवाही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है। अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री को खारिज फरमाकर मुझ अपीलान्ट का हक हिस्सा कायम किया जाकर पत्रावली पुनः रिमाण्ड किये जाने का आदेश फरमावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 12 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2020 को निर्णित कर अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 का निर्णयन आवश्यक है। हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 23.11.2020 को वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत् प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए वादग्रस्त आराजीयात का खातेदारान के मध्य बाई मिट्स बाउण्डस के आधार पर मौके व कब्जा काश्त व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मौके पर उपस्थिति बाबत पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी किए गए। तहसीलदार द्वारा सहखातेदारान के हिस्से के अनुरूप विभाजन में भूमि प्रस्तावित की गयी तथा अपीलांट सहित पक्षकारान को विभाजन में प्रस्तावित भूमि तक पहुच के लिए सामलाती पहुच मार्ग का प्रावधान रखा गया है। विभाजन में मौके पर वास्तविक कब्जे काश्त के साथ साथ भूमि की किस्म को ध्यान में रखते मुताबिक हिस्सा भूमि प्रस्तावित की गयी तथा नक्शा आदि तैयार किया गया। नक्शा व विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान के हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान है। अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना किया जाना स्पष्ट है। अतः इस संबंध में अपीलांट का उज्र आधारहीन है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. अपीलांट द्वारा यह उज्र भी लिया गया है कि अपीलांट को विभाजन में उबड़ खाबड़ जमीन दे दी गयी एवं अन्य खातेदारान को किमती व उपजाउ जमीन दी गयी है तथा अपीलांट को उसके कब्जे काश्त की भूमि प्रस्तावित नहीं की गयी, के संबंध में हस्तगत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रथम तो अपीलांट द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज या अन्य रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे उक्त उज्र साबित हो, साथ ही विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट को खसरा संख्या 123 किस्म चाही सोयम जाव सोयम में से 3.2079 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी तथा उक्त खसरे में ही गिरधारी, गंगाराम, दैराज, गुमनी तथा गोमा व रामाराम को भी भूमि प्रस्तावित की गयी है। कृषि भूमि संबंध मे चाही सोयम व जाव सोयम उत्कर्ष श्रेणी की भूमि किस्म के अन्तर्गत आती है। इसी प्रकार अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त किस भाग पर है इस संबंध में भी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में भी कोई उल्लेख नहीं किया है अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र आधारहीन व खारिज योग्य है।

अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2019 बअनवान गिरधारीराम चैनाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2020 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, बाली